राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)

ई-मेल : hindicell2015@gmail.com
rajbhasha@dhsgsu.edu.in
दूरभाष क्र. : (07582) 297118

पत्र क्र.: रा.भा/33/5128 दिनांक : 26 अक्टूबर, 2026

परिपत्र
(Circular)

विषय : भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों के कार्यान्वयन संबंधी।
संदर्भ : उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का परिपत्र क्रं. सं. ई- 11/13/2025-रा.भा.प्र. दिनांक 30 सितम्बर, 2026।

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भानुसार लेख है कि केन्द्रीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किए जाने के उपरांत राष्ट्रपति जी को सिफारिशें की जाती हैं। समिति द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन के नौंवे खंड में की गई सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने संलग्न परिपत्र के अनुसार आदेश जारी किए हैं।

अत: विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/केन्द्रों/अनुभागों/प्रकोष्ठों/शाखाओं/संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करवाएँ।

संलग्नक : यथोक्त।

कुलसचिव 26/10/2026

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
1. समस्त अधिष्ठाता/समन्वयक/निदेशक (प्रशासनिक/अध्ययनशाला)
2. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/नियंत्रण अधिकारी
3. परीक्षा नियंत्रक (प्र)/वित्ताधिकारी (प्र)/ पुस्तकालयाध्यक्ष
4. समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण
5. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी
7. कुलपति जी के निज सचिव- मान. कुलपति महोदय के सूचनार्थ
8. कुलसचिव के निज सहायक
9. संबंधित नस्ती

संयुक्त कुलसचिव एवं
राजभाषा अधिकारी (प्र)

सं.ई-11/13/2025-रा.भा.प्र.

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्च शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 30.09.2026

परिपत्र

विषय: राष्ट्रपति जी के आदेशों का कार्यान्वयन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 11 जुलाई, 2025 के समसंख्यक परिपत्र का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत प्रतिवेदन के नौवें खंड में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था।

संस्तुति संख्या	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
3.	प्रशिक्षण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएँ, ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। यदि नए भर्ती होने वाले कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो भर्ती के तुरंत बाद ही सरकार को उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
5.	कार्यालय में कम्प्यूटरों पर अविलम्ब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कम्प्यूटरों पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
6.	हिंदी कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए।	
11.	प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें क्या-क्या काम हिंदी में करने हैं इस संबंध में निर्देश दें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
12.	विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलंब भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
13.	सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाने के संबंध में समुचित कार्रवाई की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
14.	प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में उपर्युक्त सभी मदों की समीक्षा करते हुए समुचित कार्रवाई की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
16.	मॉनीटरिंग तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए समिति यह संस्तुति करती है कि एक प्रोफ़ार्मा (राजभाषा से संबंधित) तैयार किया जाए और जब भी कोई अधिकारी (वरिष्ठतम अधिकारी सहित) अपने किसी अधीनस्थ कार्यालय में निरीक्षण या दौरे पर जाए तो उससे राजभाषा का निरीक्षण अवश्य करवाया जाए और उक्त प्रोफॉर्मा को अनिवार्य रूप से भरवाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यालय का वर्ष में कम से कम एक राजभाषा संबंधी निरीक्षण उच्च प्राधिकारी द्वारा अवश्य हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
17.	मॉनीटरिंग के इसी क्रम में प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी चार	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	बैठकें अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति का मॉनीटरिंग किया जाए।	
18.	सभी मंत्रालय/मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी छोटे बड़े कार्यालय, बैंक, उपक्रम, संस्थान, अधिकरण आदि अपने अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
22.	सभी केंद्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिन्दी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिन्दी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
23.	एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिन्दी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
42.	विभिन्न निरीक्षणों, मौखिक साक्ष्यों तथा विचार-विमर्श कार्यक्रमों के दौरान समिति ने महसूस किया है कि हिन्दी पाठ्य समग्रियों, शब्दावलियों आदि की भाषा को आसानी से समझने एवं व्यावहारिक प्रयोग के लिए हिन्दी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिन्दी में प्रयोग किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
48.	समिति पुनः संस्तुति करती है कि किसी भी स्थिति में कम से कम 50% धन हिंदी विज्ञापनों पर तथा शेष 50% क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी पर किया जाए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड 8 की सिफ़ारिश सं. 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड 9 की सिफ़ारिश सं. 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियाँ इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि मंत्रालयों/विभाग/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन

		अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
49.	जहां तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
50.	जहां विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करना आवश्यक हों, वहाँ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
51.	लागत को समान रखने के लिए हिन्दी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएँ, जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
52.	जिन कार्यालयों में पुस्तकालय अनुदान का कोई बजट आबंटन न हो, तो वहां कुल कार्यालयीन व्यय का न्यूनतम एक प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों पर खर्च किया जाए। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि पचास प्रतिशत या एक प्रतिशत के संदर्भ में जो भी राशि अधिक हो वह हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाएगी।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत या कार्यालय का न्यूनतम एक प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए।
54.	सरकारी सेवा में हिंदी साहित्य में रचनात्मक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन या पदोन्नति दी जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
56.	सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में वेलफेयर क्लब्स के माध्यम से पुस्तक क्लब गठित किए जाएँ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
60.	क्षेत्र के आधार पर गृह पत्रिकाओं को हिन्दी	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

	और संबंधित क्षेत्र विशेष की भाषा में छापा जाए ताकि क्षेत्रीय भाषा में लेखन क्षमता रखने वाले कर्मचारियों को भी अवसर और प्रोत्साहन मिले।	

शिक्षा मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों आदि के प्रमुख से अनुरोध है कि वे अपने अपने संस्थानों आदि में उपर्युक्त आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करवाएँ तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना मंत्रालय को दिनांक 30.10.2026 तक **rajbhasha.edusec@gmail.com** पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

(अजय कुमार झा)
उप-निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011-24014904

सेवा में

संस्थानों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/समितियों/संगठनों/बोर्डों आदि के प्रमुख।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. संयुक्त सचिव (राजभाषा एवं प्रशासन)
2. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति

(अजय कुमार झा)